न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 148/2011 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. कम्पूरी पत्नी गोतम सिंह
2. केशरदेवी पत्नी विजेन्द्र सिंह } समस्त जातिगण ठाकुर समस्त निवासीगण ग्राम बरैठा तह0
3. शकुन्तला पत्नी रनवीर सिंह } व जिला धौलपुर।
4. चन्द्रावली पत्नी जयवीर सिंह

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्री गोपाल पुत्र रामभरोसी
2. विशाल } पुत्रगण होतम सिंह
3. मोहर सिंह }
4. रामबरन } पुत्रगण पीतम सिंह
5. रघुनाथ }
6. श्रीमती पत्नी पीतम सिंह
7. होतम सिंह पुत्र नत्थी
8. लाखन सिंह उर्फ लायक सिंह पुत्र मुन्नालाल
9. पुनिया पत्नी रामखिलाडी
10. मुन्नी देवी पत्नी केशव सिंह } अकवाम ठाकुरान निवासी ग्राम बरैठा तह0 व जिला धौलपुर।
11. रेशमदेवी पत्नी दुशासन सिंह
12. सोमवती पत्नी हाकिम सिंह
13. मुनीषा पत्नी मुरारीलाल
14. ऊषा पत्नी भूरी सिंह
15. कुशमा पत्नी शेर सिंह
16. लक्ष्मीनारायन
17. नवाव सिंह } पुत्रगण रामलाल
18. राजकुमार }
19. राजकुमारी पत्नी भूरा पुत्री रामलाल जाति ठाकुर निवासी ग्राम कम्बू का नगला तहसील फतिहाबाद जिला आगरा(यू0पी0)
20. विद्या देवी पत्नी रामप्रसाद } जातिगण ठाकुर निवासी ग्राम बरैठा तहसील व जिला धौलपुर।
21. विजेन्द्र सिंह पुत्र नेकसा }

.....असल रेस्पोंडेंट

22. स्टेट बैंक आफ इण्डिया कृषि विकास शाखा धौलपुर द्वारा प्रबन्धक।
23. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बरैठा द्वारा शाखा प्रबन्धक।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर जिला धौलपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दिनांक 12.08.2011 मि.नं. 153/10 उनवानी कम्पूरी बनाम श्रीगोपाल।

उपस्थितिः–

1. श्री श्रीगोपाल शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री प्रेमनारायण पाराशर वकील रैस्पो0 बैंक।

निर्णय दिनांक–17.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादीगण ने एक दावा विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बरैठा एवं ग्राम शाला का पुरा पटवार क्षेत्र बरैठा तहसील धौलपुर में अपीलाण्ट/वादीगण सह खातेदार काश्तकार दर्ज है। रैस्पो0/प्रतिवादीगण 01 लगायत 21, अपीलाण्ट/वादीगण के हिस्से को देना नहीं चाहते हें और उस पर स्वंय का कब्जा करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बॅटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किये जाने तथा अपीलाण्ट/वादीगण का खाता एवं लगान पृथक–पृथक किये जाने की प्रार्थना की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 19.10.2010 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर, विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2011 को अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कायदे कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने कुर्रेजात पर आपत्ति के बाबजूद ,प्रार्थना पत्र आपत्ति खारिज करते हुए, गलत कुर्रेजात के आधार पर वाद डिक्री कर दिया । खसरा नम्बर 363 रकवा 03 बीघा 18 विस्वा ग्राम शाला का पुरा में रैस्पो0 संख्या 01 श्री गोपाल पुत्र रामभरोसी का हिस्सा 1/8 है, अतः श्रीगोपाल के हिस्से में 09 विस्वा क्षेत्रफल आना चाहिये, आलोच्य कुर्रे में इसे खसरा नम्बर 363 में 01 बीघा 04 विस्वा रकवा आवंटित किया गया है, जो गलत है। विवादित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि दो राजस्व ग्रामों की रही है, दोनों राजस्व ग्रामों की भूमि को मिलाकर किसी भी पक्ष को उसके हिस्से का रकवा केवल एक राजस्व ग्राम में दिया जाना सम्भव नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा इस सम्बन्ध में आपत्ति भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आपत्तियों को दरकिनार कर वाद को गलत रूप से अन्तिम डिक्री कर दिया। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है की अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार धौलपुर को कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करने के लिये कमिश्नर नियुक्त किये गये था। किन्तु तहसीलदार धौलपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की अनुपालना नहीं की है, जो आवश्यक थी। इसलिए भी आलोच्य कुर्रे गलत हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.07.2002 को निरस्त करते हुए, प्रकरण पुनः सही कुर्रेजात तलव कर, डिक्री किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट /प्रतिवादी का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि कुर्रेजात प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये गये हैं एवं उक्त कुर्रे प्रस्तावो को तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) 1955 नियम 18 लगायत 21 की पालना नहीं की गई है। अतः कुर्रे प्रस्ताव विधिवत नही है एवं रैस्पो0 श्री गोपाल को खसरा नम्बर 363 में, उनके दर्ज हिस्से से अधिक दिया गया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार धौलपुर के पत्र क्रंमाक/राजस्व/11/536 दिनांक 24.06.2011 के संलग्न विभाजन प्रस्तावो के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि विभाजन प्रस्ताव नायब तहसीलदार द्वारा बनाये गये हैं, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 अन्तर्गत विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा बनाये जाने थे। इसके अतिरिक्त जमाबन्दी वर्ष 2006 के मुताबिक ग्राम शाला का पुरा का कुल रकबा 03 बीघा 18 विस्वा दर्शाया हुआ है, जिसमें रैस्पो0 संख्या 01 श्रीगोपाल पुत्र रामभरोसी का 1/8 हिस्सा दर्ज है, इस अनुसार उक्त आराजी में उनका 09 विस्वा क्षेत्रफल बनता है। किन्तु विभाजन प्रस्ताव में रैस्पो0 श्री गोपाल को आराजी खसरा नम्बर 363 में 01 बीघा 04 विस्वा दिया गया है, अतः आपत्ति अपीलाण्ट विचारणीय है। अपीलाधीन निर्णय में इस आपत्ति का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मुताबिक नजरी नक्शा आराजी खसरा नम्बर 363 रास्ते के सहारे लगा होने से, अन्य खसरा नम्बरो की अपेक्षा अधिक अच्छी भूमि है। अतः कुरा रिपोर्ट दिनांक 24.06.2011 के आधार पर अंतिम डिक्री पारित किया जाना कानूनसम्मत नहीं माना जा सकता है। विभाजन के प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना की जानी चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2011 खारिज किये जाते हैं तथा प्रकरण

अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना करते हुए, पक्षकारों के कब्जे काश्त को ध्यान में रखकर, प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथासंभव एक साथ (Compact) दिया जाकर, पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब करते हुए, विधि अनुरूप निर्णय पारित करें। उभयपक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.12.2017 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official